

प्रति,

संभालक,

इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस सेल
भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय,
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय :- छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले (तत्कालीन सरगुजा जिला) में स्थित सामरी बॉक्साईट माईन्स, कुदाग बॉक्साईट माईन्स एवं टाटीझरिया बॉक्साईट माईन्स की क्षमता बढ़ाये हेतु इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस।

- संदर्भ:-
1. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/353/2007-IA.II(M) दिनांक 27 जुलाई 2007.
 2. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 27 जुलाई 2007.
 3. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 9 अगस्त 2007.

—0—

कृपया आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा बलरामपुर जिले (पुत्ताने सरगुजा जिले) के सामरी बॉक्साईट खुली खदान (1 LTPA) की क्षमता बढ़ाकर (5LTPA) करने, कुदाग बॉक्साईट खदान (0.4 LTPA) की क्षमता बढ़ाकर (0.6 LTPA) करने तथा टाटीझरिया बॉक्साईट खदान (0.5 TPA) की क्षमता बढ़ाकर (4 TPA) करने के परियोजना प्रस्तावों संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-1 के वन्यप्राणियों हेतु "वन्य प्राणी संरक्षण व प्रबंधन योजना" तैयार की जाकर इस कार्यालय की सहमति दिये जाने का लेख किया है।

1. विषयांकित परियोजना हेतु खदान के तीज के अनुबंध दिसंबर 1996 एवं जून 1998 में हस्ताक्षरित हुये थे। सामरी क्षेत्र में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक J-11015/353/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई, 2007 द्वारा 2146.746 हे. में, कुदाग क्षेत्र में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय आदेश क्रमांक J-11015/354/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई 2007 द्वारा 377.116 हे. में, तथा टाटीझरिया में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II/M दिनांक 9 अगस्त 2007 द्वारा 1218.762 हे. में बॉक्साईट खनन की स्वीकृति प्राप्त कर संस्था द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है।

☆

1111

2. प्रस्तावित प्रस्ताव में उपरोक्त विवरण के अलावा वन विभाग के दिनांक 10.11.2012 से दिनांक 5.01.2013 तक प्राप्त आने वाले वन्य प्राणियों के लिए 10.11.2012 से दिनांक 5.01.2013 तक प्राप्त आने वाले वन्य प्राणियों के लिए 50,000 TPA से बढ़ाकर 4,00,000 TPA तक बढ़ाया प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा उपरोक्त दिनांक 10.11.2012 से दिनांक 5.01.2013 तक प्राप्त आने वाले वन्य प्राणियों के लिए 1-11015/354/2007-IA.H/M दिनांक 27 जुलाई 2007 एवं 1-11015/337/2007-IA.H/M दिनांक 7 अगस्त 2007 द्वारा कुछ शर्तों के साथ दी गई है जिसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी उल्लेखित है कि संबंधित क्षेत्र में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के शेड्यूल 1 के पाये जाने वाले वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंध योजना तैयार की जाकर राज्य के मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के अनिमित्त सहित प्रस्तुत किया जाये। जिसके फालत में संस्था द्वारा एक वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की गयी है।
3. खनन क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावित तीनों ही परियोजनाओं के एक दूसरे से 4 कि.मी. की परिधि में स्थित होने एवं सभी के बफर क्षेत्र ओवरलैपिंग होने के कारण सभी के लिये संयुक्त रूप से वन्य प्राणी संरक्षण व प्रबंधन योजना तैयार की जाकर महाप्रबंधक, (खादान), हिन्डालको इन्डस्ट्रीज के पत्र क्रमांक HIL/SAM/300/2013 दिनांक 2.03.2013 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका समग्र रूप से परीक्षण किया गया। प्रस्तावित परियोजनाओं के कोर क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले ओवरलैपिंग बफर क्षेत्र में वन्य प्राणियों एवं उपलब्ध वनस्पतियों का सर्वे किया जाकर पाये गये स्पेसिज को परियोजना प्रस्ताव में अनेक्स्-4 के में उल्लेखित किया गया है।
4. उल्लेखित सूची में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के शेड्यूल 1 के वन्य प्राणी नहीं पाये गये हैं। परंतु इस कार्यालय द्वारा वन संरक्षक (वन्य प्राणी), सरगुजा से विगत दस वर्षों में वन्य प्राणियों द्वारा की गई क्षति की जानकारी चाही गयी। वन संरक्षक ने अपने पत्र क्रमांक 749 दिनांक 24.05.2012 से यह जानकारी उपलब्ध कराया है कि उक्त क्षेत्र में हाथियों का वर्ष 2005 में दो बार, वर्ष 2006 में आठ बार, वर्ष 2007 में एक बार, 2008 में दो बार, 2009 में सात बार आना जाना हुआ है। इसी प्रकार भालुओं के द्वारा वर्ष 2007-08 में आठ, वर्ष 2008-09 में पाँच, वर्ष 2009-10 में छः एवं 2010-11 में 4 जनहानि व जनघायल के प्रकरण तथा वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में तेंदुआ द्वारा पशु हानि के दो प्रकरण तथा लकड़बाघों के कारण एक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इस प्रकार वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के शेड्यूल 1 के उपरोक्त उल्लेखित वन्य प्राणियों के परियोजना क्षेत्र में आने जाने की प्रमाण पाये गये हैं। प्रस्तावित क्षेत्र से 6 से 7 कि.मी.की दूरी पर झारखंड राज्य में बेड़िया अभ्यारण्य भी स्थापित है। अतः संस्था द्वारा दस वर्षों के लिये वन्य प्राणी संरक्षण व प्रबंधन योजना श्री पी. के. सेन पूर्व वन्य प्राणी अभिरक्षक, झारखंड से तैयार कराया जाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसका समग्र व विस्तृत अध्ययन किया गया। प्रबंधन योजना में प्रस्तावित प्रबंधन संबंधित मुख्य गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है।
5. योजना में वन्य प्राणियों के लिये जलग्रहण क्षेत्र विकास, रहवास-विकास, पेयजल व्यवस्था, विभाग के क्षेत्रीय अमले के सहयोग से क्षेत्र में पेट्रोलिंग व मॉनिटरिंग, अग्नि सुरक्षा, ईको विकास की गतिविधियाँ, स्थानीय ग्रामीणों के लिये आजीविका सृजन, टीकाकरण, जनजागृति कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का

समावेश करने होंगे 04 वर्षों के लिए जोषा खण्ड में प्रयोज्यमानित की गयी है। निम्नलिखित क्रियाकर्म वन विभाग के द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित कार्यो का विवरण निम्नानुसार है -

Sl. No.	Works to be done	Cost for Each year (Rs. in Lakhs)					Remarks
		1 st Year	2 nd Year	3 rd Year	4 th Year	Total	
1	Plantation including soil and moisture Conservation works as per norms of forest department surrounding the lease hold	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	
2	Silvicultural Operation on degraded forest Land and cut back in rooted waste	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	
3	Habitat Management Eradication of unwanted species in buffer Zone area, Fire Protection work including wages for fire watchman, Creation of Fire line etc. surrounding lease hold and in buffer area.	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	
4	Monitoring - One Staff of forest department to monitor movement of wild life, encroachment, illicit cutting, poaching, fire etc. including Salary of 1 staff	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	
5	Construction of water holes, their maintenance and patrolling (One per Annum)	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	
6	Eco-development activities like poultry, piggery, bee keeping etc.	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	
7	Vocational Training to weaker section, females, old persons and minors of the surrounding villages in three centre in the buffer Zone of the mining lease @ 50000/- per centre.	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	
8	Veterinary camp for immunization of Cattle with the help of block veterinary staff.	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	
9	Awareness Programme including Signages, distribution of Pamphlets related to wild life conservation etc.	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	
10	Provision for conservation of Biodiversity among flora and fauna of the area & Preparation of Biodiversity register	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	The amount is to be deposited in the account of Biodiversity Board as this work is to be done by Biodiversity management committees (BMC's)
	Total	55.00	35.00	35.00	35.00	160.00	

परिचालन के अन्तर्गत एकमुश्त जमा कराने के लिए प्रत्येक वर्ष एकमुश्त जमा कराने का यह व्यवस्था की जायेगी। इससे वन संरक्षण के विकास से वृद्धि होगी। परियोजना के क्रियान्वयन के समय जो भी लागत आसगी वन संरक्षण जमा परिसरों को वन विभाग में एकमुश्त जमा करानी होगी। जिससे मुख्य वृद्धि के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। वन विभाग एकमुश्त जमा की गई राशि से वन्यप्राणी संरक्षण योजना क्रियान्वित करेगा।

- 1) अनुमानित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सलग्न प्रेषित है। कृपया वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्राथमानित राशि रु. 160.00 लाख एकमुश्त जमा कराने हेतु परियोजना प्रस्तावकों को आदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Alprakash
(समप्रकाश) 01/12/13

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर दिनांक 01/10/2013

पृष्ठा क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-12/13/2968.

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, महानदी मंत्रालय भवन, नया रायपुर की ओर मय योजना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री एम. के. नारयंक, जी. एम. माइन्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सामरी बॉक्सआईट माईन्स, पोस्ट-कुसमी, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ की ओर मय योजना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

Alprakash
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) 01/12/13
छत्तीसगढ़, रायपुर

Annexure-B

KUSAG BAUXITE MINE LEASE AREA

Annexure-6
Details of Flora and Fauna

Sl. No.	Technical Name	Family	Life Form
161	<i>Urena lobata</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
162	<i>Mimulus orboreus</i>	Croceae	Phanerophyte
163	<i>Atropa gossypifolia</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
164	<i>Luzula tuffracosa</i>	Cyperaceae	Hydrophyte
165	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
166	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
167	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
168	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
169	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
170	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
171	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
172	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
173	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
174	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
175	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
176	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
177	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
178	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
179	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
180	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
181	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
182	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
183	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
184	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
185	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
186	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
187	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
188	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
189	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
190	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
191	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
192	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
193	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
194	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
195	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
196	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
197	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
198	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
199	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
200	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
201	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
202	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
203	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
204	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
205	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
206	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
207	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
208	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
209	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
210	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
211	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
212	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
213	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
214	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
215	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
216	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
217	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
218	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
219	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
220	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
221	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
222	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
223	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
224	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
225	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte
226	<i>Lupinus albus</i>	Fabaceae	Therophyte

Self Help Group (SHGs) , Kudag

No. of SHGs	12
No of Beneficiaries	120
No of group linked with bank	12
Average Saving / Group – Rs. 10,000 -	Rs. 10,000/-

Facility provided to groups	Register, Passbook, Dari, Sewing Machine, Income Generation training and other exposure programme like linkages with bank and training with NRLM
Groups engaged in income generation activities	12


Unit: Hindalco Industries Limited, Samri Mines Division

SHGs Details
(Kudag)

Sl.No	SHG Name	Village Name	District Name	No Of Members	A/C Details		Economic Activity Name	Year of formation
					Members Savings in Bank A/C	Bank Loan Received		
1	Nori Self Help Group	Seraidih	Balrampur	10	12000.00	-	Agriculture	10/10/2008
2	Shobnam Self Help Group	Seraidih	Balrampur	10	14000.00	-	Agriculture	09/05/2005
3	Suhani Self Help Group	Seraidih	Balrampur	10	8000.00	-		06/10/2010
4	Rupa Self Self Help Group	Seraidih	Balrampur	10	14500.00	-	Agriculture	9/5/2011
5	Sushila Self Help Group	Banjutoli	Balrampur	10	12500.00	-	Agriculture	28/02/2014
6	Chamei Self Help Group	Bata	Balrampur	10	25000.00	-	Agriculture	15/11/2017
7	Chamei Self Help Group	Bata (Banjutoli)	Balrampur	10	22000.00	-	Agriculture	16/10/2016
8	Punam Self Help Group	Batapani	Balrampur	10	19500.00	-	Agriculture	26/09/2017
9	Gulab Self Help Group	Kudag	Balrampur	10	14500.00	-	Agriculture	06/10/2014
10	Shubham Self Help Group	Batapani	Balrampur	10	7500.00	-	Agriculture	25/06/2017
11	Chamei Self Help Group	Kudag	Balrampur	10	14000.00	-	Agriculture	9/3/2017
12	Resham Self Help Group	Kudag	Balrampur	10	8500.00	-	Agriculture	9/3/2017

Details of SHGs Group

Annexure -D




View of one small old inactive OB dump stabilized by vegetation with suitable native species at Kudag Lease

[Handwritten signature]

Year wise / Lease wise Details of Afforestation

Year	Kudag Bauxite Mines		Samri Bauxite Mines		Tajpuria Bauxite Mines		Total	
	No. of Sapling	Area in hect.	No. of Sapling	Area in hect.	No. of Sapling	Area in hect.	No. of Sapling	Area in hect.
1998-99	900	0.1	0	0	0	0	900	0.1
1999-00	7000	2.58	0	0	0	0	7000	2.58
2000-01	7500	3.21	0	0	0	0	7500	3.21
2001-02	10000	5.01	0	0	0	0	10000	5.01
2002-03	4000	1.56	3900	2.44	0	0	7900	4
2003-04	4200	2.57	5500	2.81	0	0	9700	5.38
2004-05	8750	2.9	8222	2.8	2000	1	16972	6.7
2005-06	800	0.5	11100	3.8	8700	3.4	20600	7.7
2006-07	4840	2	16510	6.884	8190	3.3	29540	12.184
2007-08	2950	1.3	18880	7.75	6390	2.5	28220	11.55
2008-09	32200	12.72	5000	2.47	3000	1.5	40200	16.69
2009-10	15700	6.20	15100	6.00	7850	3.20	38650	15.40
2010-11	1500	0.600	18325	7.200	8750	3.400	26575	11.200
2011-12	3015	1.200	11575	4.600	3370	1.360	17960	7.180
2012-13	1200	0.500	12400	5.000	4600	1.900	18200	7.400
2013-14	960	0.400	8700	3.500	4875	2.000	14625	5.900
2014-15	5575	2.230	12850	5.150	7750	3.100	26175	10.480
2015-16	4000	1.630	10139	4.050	7500	3.000	21639	8.650
2016-17	4390	2.800	9110	3.700	5950	2.400	19450	8.900
2017-18	2960	1.220	11681	4.970	8956	3.540	23509	9.730
2018-19	2780	1.110	19730	7.900	19987	7.990	42477	17.000
2019-20	2980	1.200	34360	31.590	32715	18.970	70055	51.760
2020-21	4865	2.405	36160	16.918	28739	12.819	69764	32.142
2021-22	5700	1.604	50622	13.349	32794	11.557	89116	26.510
Total	136655	67.519	319764	142.881	202008	86.936	658627	287.336

Annexure F



A View of Pond and RWH Structure





A View of Ragi Cultivation

**Photographs of Plantation along the Boundary of Safety Zone and
plantation along the Road Side (Green Belt Development)**

Lease - Kudag



Annexure-G



View of Black top road constructed up to pit head to reduce dust problem.

[Handwritten signature]

Annexure - H

Hindalco Industries Ltd.


Mines Division, Samri

19.05.2021

Environment Management Cell

An Environment Management Cell is re-constituted by the following members which is compliance of the EC conditions for the Samri, Kudag and Tatijharia Bauxite Mines.

<u>S.No.</u>	<u>Name</u>	<u>Designation</u>	<u>Position</u>
1.	Mr. Vijay Chauhan	Agent of Mines	Chairman
2.	Mr. Amit Tiwary	Manager-Mines	Secretary
3.	Mr. Tapas Gachhayat	Manager – Geology	Member
4.	Mr. R.K.Sinha	Manager- Mines	Member
5.	Dr. M Kumar	Sr. Medical Officer	Member
6.	Mr. K K Singh	Dy. Manager- Mines	Member
7.	Mr. Manoj Dixit	Assistant Manager- Geology	Member
8.	Mr. C S Prasad	Dy. Officer – Lab.	Member



(Vijay Chauhan)

Agent of Mines
Agent of Mines
Samri Mines Division
Hindalco Industries Ltd

बड़े-छोटे जुआरी एक ही दिन पकड़े गए

विभूति शर्मा (अभिनेता)

सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद 11700 रुपये का जुआ

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।



दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

B.C.A.

M. Sc. Information

B.T. Technology

Admission for

Management etc.

REVISED SEAT

200- Seat Allocation for

B.A. - II, B.B.A.

Management

B.Sc. (Computer), B.C.A.,

P.O.D.T.

B.A. - I, B.A. (Hons.)

App. 2020

विभिन्न विभागों के लिए

विभिन्न विभागों के लिए

विभिन्न विभागों के लिए

हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
(सामग्री खान प्रभाग)

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

आवश्यकता

दोनों ही पक्षों के कौशल अंतरों के अभाव में दोनों पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही पक्षों के बीच कोई भी अंतर नहीं है।

- 12 वीं या उच्चतर उत्तीर्ण होना चाहिए।
- उम्र 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- कंपनी द्वारा सम्पादित इंटरे में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने हेतु आवश्यक होना चाहिए।
- उचित निर्देश लेने में सक्षम हो।

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

संस्थापना को मजिस्ट्रेट के पास दाखल कराया गया

Handwritten signature or mark.

